# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## परिपत्र

ऐसा ध्यान में आया है कि राज्य में संचालित गैर-सरकारी विद्यालयों के लिये समय-समय पर विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जाने के बावजूद भी कई निजी विद्यालयों द्वारा विद्यालय में पाठ्य सामग्री,स्टेशनरी,यूनिफॉर्म, टाई,बेल्ट, आदि की बिक्री किये जाने, बाल वाहिनी संचालन, नियमानुसार समय पर टी.सी. नही देने एवं प्रगति पत्र रोकने एवं आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश देने संबंधी दिशा-निर्देशों की अवहेलना किये जाने तथा गैर-कानूनी रूप से अत्यधिक फीस वृद्धि संबंधी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा विभाग स्तर पर समय- समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जा रही है।

इस संबंध में आपको पाबन्द किया जाता है कि आपके जिले में संचालित निजी विद्यालयों के संबंध में इस प्रकार की यथा पाठ्य सामग्री, यूनिफॉर्म, टाईबेल्ट, आदि की बिक्री किये जाने, बाल वाहिनी संबंधित दिशा निर्देशों की अवहेलना किये जाने तथा अत्यधिक रूप से फीस में वृद्धि संबंधित शिकायतें प्राप्त होते ही उनका **गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर आगामी 48 घण्टों में उक्त विद्यालयों की जॉच एक कमेटी बनाकर करवाई जाना सुनिश्चित करें**। जॉच में दोषी पाये जाने की स्थिति में जॉच रिपोर्ट मय स्पष्ट अनुशंषा कर आरोपित विद्यालय के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से संबंधित माध्यमिक शिक्षा / प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

राजस्थान राज्य में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालय, विभाग के द्वारा समय- समय पर जारी आदेश / दिशा-निर्देशों के अधीन संचालित किये जाने हेतु पूर्णतया पाबन्द है। जिनमें निम्न मुख्य नियम / आदेश / निर्देश विभाग द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालन हेतु जारी किये जाते है:-

1. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 में वर्णित समस्त धाराऐं / नियम / उपनियम की पालना सुनिश्चित करना।
2. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 में निर्देशित समस्त नियम एवं फीस निर्धारण प्रक्रिया का समयबद्ध व अक्षरशः क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
3. आरटीई अधिनियम 2009 एवं राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अधीन निर्देशित किये गये समस्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करना।
4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / सीआईएससी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता नियमों की अक्षरशः पालना एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपनियमों के अधीन पालना सुनिश्चित करना।
5. बाल वाहिनियो के संचालन में, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सख्त दिशा-निर्देशो की विद्यार्थी सुरक्षा दृष्टिकोण के मध्यनजर पालना सुनिश्चित करना।
6. पाठ्य सामग्री,स्टेशनरी,यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, आदि की बिक्री हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना।
7. निजी विद्यालयों में विशेष योग्यजन (दिव्याग) विद्यार्थियों एवं छात्राओं हेतु विशेष प्रावधानों का विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना।

8. छात्र एवं छात्राओं पर मानसिक/शारीरिक दण्ड/प्रताड़ना से जनित शिकायतों में संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
9. छात्र एवं छात्राओं को उनके अधिकारों यथा मांग करने पर टीसी/परीक्षा परिणाम जारी करना,फीस हेतु प्रताडित न करना,समय-समय पर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर छात्रों की प्रगति/समस्याओं की सूचना देना सुनिश्चित करना।
10. साथ ही सभी निजी शिक्षण संस्थाऐं समय- समय पर शिक्षक-अभिभावक बैठक (PTM) आयोजित कराना सुनिश्चित करावें ताकि शाला संबंधी समस्याओं एवं छात्र की प्रगति के संबंध में अभिभावक व शिक्षक के मध्य समन्वय स्थापित हो सकें।
11. यह सुनिश्चित किया जावें कि निजी विद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं से प्रवेश शुल्क नवीन प्रवेश के समय स्कोलर रजिस्टर (एस.आर.) में नाम दर्ज करते समय ही लिया जावें, न कि प्रत्येक कक्षा क्रमौन्नति पर।
12. विद्यार्थियों को पिकनिक/ट्यूर पर ले जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कराना एवं निजी विद्यालयों द्वारा यात्रा में सुरक्षा मानकों का पूर्ण रुप से ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करावें
13. विभाग द्वारा जारी शिविरा पंचाग की पूर्णतया पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।
14. निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से फीस मासिक/त्रैमासिक ही ली जा रहीं है, सुनिश्चित करें।

इस कम में आप सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावी प्रबोधन कराते हुए कार्यवाही सम्पादित करावें। उक्त बिन्दुओं में प्रदत्त निर्देशों की पूर्णतया पालना करने हेतु सभी निजी विद्यालय पाबन्द है। उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय नियमान्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी।

25/4/19
(ओम प्रकाश कसेरा)
आई.ए.एस.
निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

25.04.19
(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः-शिविरा-मा/पीएसपी/अ-3/फीस का विनियमन/2016-17** दिनांकः- 25/4/19

**प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कर अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित हैं।**

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, समस्त।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समस्त
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा समस्त।

25/4/19
(ओम प्रकाश कसेरा)
आई.ए.एस.
निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

25.04.19
(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर